



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 977]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 25, 2016/वैशाख 5, 1938

No. 977]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 25, 2016/VAISAKHA 5, 1938

विद्युत मंत्रालय

(केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण)

आदेश

नई दिल्ली, 22 अप्रैल, 2016

का.आ. 1490(अ).—जबकि मेसर्स डीजीईएन पारेषण कंपनी लिमिटेड, आवेदक जिसका पंजीकृत कार्यालय 305-306, तीसरा तल, इरोज कारपोरेट टॉवर नेहरु प्लेस, नई दिल्ली - 110019 पर है, ने निम्नलिखित पारेषण प्रणाली के निर्माण के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत अनुमोदन हेतु आवेदन किया है।

- (i) डीजीईएन टीपीएस - वडोदरा 400 के वी डी/सी लाइन - 114 कि.मी. (लगभग)
- (ii) नवसारी - भेस्तान 220 के वी डी/सी लाइन - 21 कि.मि. (लगभग)

और जबकि भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 30.01.2014 के पत्र सं. 11/54/2013-पीजी (डीटीसीएल- पीएफसी) के अनुसार "टोरेंट पावर लिमिटेड के डीजीईएन टीपीएस (1200 मे.वा.) की संबंधित पारेषण प्रणाली" के निर्माण के लिए मै. डीजीईएन पारेषण कंपनी लि. को विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 68 की उपधारा (i) के अंतर्गत, निम्नलिखित कार्यों के लिए पूर्व अनुमोदन प्रदान किया था।

- (i) डीजीईएन टीपीएस - वडोदरा 400 के वी डी/सी लाइन
- (ii) नवसारी - भेस्तान 220 के वी डी/सी लाइन

और अब आवेदक ने, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत निम्नलिखित कार्यों के लिए उसे वे सभी शक्तियां प्रदान करने का अनुरोध किया है, जो टेलीग्राफ के उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा स्थापित टेलीग्राफ लाइनों और खम्बों या उनके रख-रखाव के लिए या स्थापित होने वाली टेलीग्राफ लाइनों और खम्बों या उनके रख-रखाव के लिए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के अंतर्गत टेलीग्राफ प्राधिकरण के पास है।

(i) डीजीईएन टीपीएस - वडोदरा 400 के वी डी/सी लाइन - 114 कि.मी. (लगभग)

(ii) नवसारी - भेस्तान 220 के वी डी/सी लाइन - 21 कि.मि. (लगभग)

स्कीम के अंतर्गत पारेषण लाइन निम्नलिखित गांवों, नगरों और शहरों से उनके ऊपर से, उनके आसपास से तथा उनके बीच से गुजरेगी:-

गाँव का नाम	तहसील	जिला
वगोडियां, कांधा, गजाद्रा, ईश्वरपुरा (असोज), लिम्डा, मढेली, दत्तपुरा, रोषा, मस्तुपुरा, कमलापुरा, उमरवा, पिपलिया	वगोडिया	वडोदरा
सुल्तानपुरा, दिवालीपुरा, मस्तुपुर गमडी, समसपुरा, कंडकोई, मेघाकुई, रसूलपुर, समसाबाद, सलाद, रुवाड, वडसाल, वर्णमा, सुंदरपुर, राघवपुरा, हेतमपुरा, कराली, हंसजीपुरा, वदादला, पटरवेणी, फाजलपुर (आणखी), ततारपुर, धनियावी, इटोलाए नावपुरा, फातेपुरा, वरसदा	वडोदरा	वडोदरा
कुंवरवाड़ा, सगुवाड़ा, मल्हारपुरा, रसूलपुरा, वलीपुरा, पलासवाड़ा, मौसमपुरा, कुंधेला, बहरामपुरा, डांगीकुआ, मेनपुरा, पुनियाद, फोफालिया, कुंवरपुरा, सुल्तानपुर, मावली, बनाइया, वायदपुर, ठीकारिया, परिखा, जियातलावडी, कायवरोहण, लिंगस्थली, बनांज, महमदपुर, वनाद्रा, भावपुरा, भीलपुर, ठरवावी, राजलि, अंगुठान, नरिया, सेजपुरा, छत्राल, अब्दलपुरा	धाबोई	वडोदरा
गनपतपुरा, विमरडी, धानोरा, कंडारी, कर्जन, कुरई, खेरडा, अनस्तु, खांधा, हैंदोद, कनाभा, सम्पा, गन्धारा, बोडका, वेमार, कोथव, छंछवा, बचार, सरुपूर्तिम्बी, कोलियाद, सरिंग, मंत्रोज, हलदरवा, अटाली, विरजै, कुराली, निशालिया, चोरण्डा, उरद, सांसरोद, मेथी, कला	कर्जन	वडोदरा
अमला, अंटी, दनौली, कंडा, सरस्वानी, शानपुर, भादरा, भानपुर, संपला, शिहोर, ठिकरिया मुबारक, सधी, अम्बाड़ा, गयापुरा, कंडा, सदरा, मोभा, कोटना, वांछरा, दनौली, कल्याणकुई	पादरा	वडोदरा
अडोल, करेला, केलोड, पिपलिया, टांकरिया, सेगवा, वेरेडिया, घोड़ी, परखेत	भरुच	भरुच
वसना, मातर, आजमनगर, सरबन, श्रीकोठी, नीनम, तेगवा, सोनामा, अस्नेरा, नहियर, बोदका, बुवा, इन्टोला, कोलावाना, चक्लाद, वेडचा, मलकिनपुरा (टिम्बी), केरवाड़ा, भीमपुरा, चोरभुज, मंजोला	आमोद	भरुच
पाहज, ओच्छन, बादलपुरा, लिमडी, आंभेल, नादरखा, जनियादरा, नारनवी, कदोदरा, वाव, वडाडला, दहेज, कलम, केशवन, ट्रंकल, गोलडरा, पनियदरा, अलादर, हरिनगर, पंडरिया, सँभेती, सलदरा, अंकोट, जुनेद, सुतरेल, पिपलिया, नन्दीदा, सयखा, परखजन, चंच्वेल, विंछीयाद, पलड़ी, राहड़, सरन, वहियल, खोजबल, अखोड़, मांगरोल, मुलेर	वागरा	भरुच
जफरपारा, खानपौदेह, मगनद, महापुरा, जम्बूसर, वहेलम, बोजादरा, अनखी, कुंधल	जम्बूसर	भरुच
दस्तन, करेली, बागुमरा, सनकी, तांतीथैया, करण, बालेश्वर, वडाडला, लिंगोड़, तराज, हरिपुरा, गंगाधरा, टुंडी, इरथन, भूतपुर, ऐना, घालुदा, कनाओ, मखिन्गा, पलसाना, जोलवा, करादा, तलोदरा, चलथन, हाजीपुरा, सोयानी, तांतिजगदा, कराला, होजीवाला, मलिकपुर, कनाव	पलसाना	सूरत
भाटिया, समरोद, कछोली, पोपदा, कपलेठा, लाजपोर, टिम्बरवा, रावला (वकतना)	चौरासी	सूरत
परदी, अलक, असना, डभेल, कलकछा, रणोदरा, सिमलक, सिसोदरा (अरक), वेसमा	जलालपोर	नवसारी

इसलिए अब सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, भारत सरकार, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत, आवेदक को उपरोक्त पारेषण लाइनों को लगाने के लिए वे सभी शक्तियां निम्नलिखित निबंधनों एवं शर्तों के साथ प्रदान करता है जो टेलीग्राफ के उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा स्थापित टेलीग्राफ लाइनों और खम्बों या उनके रख-रखाव के लिए या स्थापित होने वाली टेलीग्राफ लाइनों और खम्बों या उनके रख-रखाव के लिए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के अंतर्गत टेलीग्राफ प्राधिकरण के पास है -

(i) अनुमोदन 25 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है।

- (ii) आवेदक को प्रस्तावित लाइनों की स्थापना से पूर्व संबंधित प्राधिकारियों अर्थात् स्थानीय निकायों, रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग आदि की सहमति प्राप्त करनी होगी।
- (iii) आवेदक को विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत समुचित आयोग के द्वारा तैयार किए गए पारेषण, ओ एंड एम, ओपन एक्सेस आदि के विनियमों/संहिताओं का पालन करना होगा।
- (iv) आवेदन को टोरेंट पॉवर लिमिटेड के डीजीईएन टीपीएस (1200 मे.वा.) की संबंधित पारेषण प्रणाली के निर्माण का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। निर्माण कार्यों का ब्यौरा दिनांक 29.08.2015 से 04.09.2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया है।
- (v) आवेदक संबंधित केंद्र सरकार के विद्युत निरीक्षक/मुख्य वैद्युत निरीक्षक के अनुमोदन के पश्चात ही लाइनों का प्रचालन करेगा।
- (vi) यह अनुमोदन आवेदक द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन किए जाने के अध्यक्षीन है।
- (vii) मेसर्स डीजीईएन पारेषण कंपनी लिमिटेड को विद्युत निरीक्षण के समय विमानन एवं रक्षा प्राधिकरणों से अपेक्षित अनुमति को प्राप्त करने के बाद इसे केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को विद्युत निरीक्षण के समय प्रस्तुत करना होगा।

[फा. सं. 164/डब्ल्यूआर/पीएसपी एंड पीए-1 /2016/डीजीईएन टीसीएल]

पी. डी. सिवाल, सचिव, के. वि. प्रा.

MINISTRY OF POWER

(Central Electricity Authority)

ORDER

New Delhi, 22nd April, 2016

S.O. 1490(E).—Whereas M/s. DGEN Transmission Company Ltd., the applicant with its Registered Office at 305-306, 3rd floor, Eros Corporate Tower Nehru Place, New Delhi – 110019 has applied for approval under Section 164 of the Electricity Act, 2003 for construction of

- i. DGEN TPS – Vadodara 400 kV D/C line ~114 km
- ii. Navsari – Bhestan 220 kV D/C line ~ 21 km

And whereas Government of India, Ministry of Power vide letter No. 11/54/2013-PG (DTCL-PFC) dated 30.01.2014 had granted prior approval under sub-section (i) of Section 68 of the Electricity Act, 2003 to M/s. DGEN Transmission Company Ltd. for construction of “Transmission system associated with DGEN TPS (1200 MW) of Torrent Power Limited” with following scope of works:

- (i) DGEN TPS – Vadodara 400 kV D/C line
- (ii) Navsari – Bhestan 220 kV D/C line

And now the applicant has requested to confer upon him all the powers under section 164 of the Electricity Act, 2003 which the telegraph authority possess under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to the placing of telegraph lines and posts for the purpose of a telegraph established or maintained by Government or to be so established or maintained for the following works:

- (i) DGEN TPS – Vadodara 400 kV D/C line - 114 km (approx.)

- (ii) Navsari – Bhestan 22 0kV D/C line - 21 km (approx.)

The Transmission line covered under the scheme will pass through, over, around and between the following villages, towns and cities:-

Name of Villages	Tehsil	District
Vaghodia, Khandha, Kamlapura, Gajadra, Ishwarpura (Asoj), Limda, Madheli, Dattapura, Ropa, Mastupura, Umarva, Pipaliya	Vaghodia	Vadodara
Salad, Ruvad, Sultanpura, Diwalipura, Mastupur Gamdi, Samaspura, Kandkoi, Meghaku, Itola, Rasulpur, Samsabad, Vadsala, Varnama, Sundarpura, Raghavpura, Hetampura, Karali, Varsada, Hansajipura, Vadadla, Patarveni, Fajalpur (Ankhi), Tatarpura, Dhaniyavi, Navapura, Fatepura	Vadodara	Vadodara
Kunvarwada, Kunvarpura, Saguwada, Malharpura, Rasulpura, Valipura, Palaswada, Rajli, Mosampura, Kundhela, Baherampura, Dangikuva, Menpura, Puniyad, Fofaliya, Sultanpura, Mahmudpura, Banaiya, Vayadpur, Thikariya, Parikha, Jiyatalavdi, Kayavarohan, Lingsthali, Bananj, Mavli, Vanadra, Bhavpura, Bhilpur, Thervavi, Anguthan, Nariya, Sejpura, Chhatral, Abdalpara	Dabhoi	Vadodara
Gandhara, Bodka, Ganpatpura, Vemardi, Dhanora, Kandari, Karjan, Kurai, Kherda, Anastu, Khandha, Handod, Kanabha, Sanpa, Vemar, Kothav, Chhanchhva, Bachar, Sarupur Timbi, Methi, Kaliyad, Saring, Mantroj, Haldarva, Atali, Virjai, Kurali, Nishaliya, Choranda, Urad, Sansrod, Kala	Karjan	Vadodara
Amla, Anti, Danoli, Kanda, SarasVani, Shanpur, Bhadara, Bhanpur, Sampla, Shihor, Kalyankui, Thikariya Mubarak, Sadhi, Ambada, Gayapura, Kanda, Sadra, Mobha, Kotna, Vanchhara, Danoli	Padra	Vadodara
Adol, Karela, Kelod, Pipaliya, Tankariya, Segva, Veredia, Ghodi, Parkhet	Bharuch	Bharuch
Chaklad, Vedcha, Malkinpara (Timbi), Kerwada, Vasna, Matar, Ajamnagar, Sarbhan, Shrikothi, Buva, Ninam, Tegva, Sonama, Asnera, Nahiyer, Bodka, Intola, Kolavana, Bhimpura, Chorbhuj, Manjola	Amod	Bharuch
Kalam, Keshvan, Trankal, Goladara, Paniadara, Aladar, Harinagar, Pandariya, Sambheti, Pahaj, Ochchhan, Badalpara, Limdi, Ambhel, Nadarkha, Janiadara, Narnavi, Kadodara, Vav, Vadadla, Dahej, Saladara, Ankot, Juned, Sutrel, Pipalia, Nandida, Sayakha, Pakhajan, Chanchvel, Vinchhiyad, Paldi, Rahad, Saran, Vahiya, Khojbal, Akhod, Mangrol, Muler	Vagra	Bharuch
Jafarpara, Khanpor Deh, Magnad, Mahapura, Jambusar, Vahelam, Bojadra, Anakhi, Kundhal	Jambusar	Bharuch
Dastan, Kareli, Gangadhra, Tundi, Erthan, Bhutpur, Ena, Ghaluda, Kanao, Makhinga, Palsana, Bagumra, Sanki, Tantithaiya, Chalthan, Karan, Baleshwar, Wadadala, Lingod, Taraj, Haripura, Jolwa, Karada, Talodra, Hajipura, Soyani, Tantizaghda, Karala, Hoziwala, Malekpur, Kanav	Palsana	Surat
Kachholi, Popda, Kapletha, Lajpor, Bhatiya, Samrod, Timbarva, Ravla (Waktana)	Chorasi	Surat
Pardi, Alak, Asana, Dabhel, Kalakachha, Ranodra, Simlak, Sisodra (Arak), Vesma	Jalalpore	Navsari

Now, therefore, after careful consideration, Central Electricity Authority, Government of India confers, under section 164 of the Electricity Act, 2003, all the powers on the applicant which telegraph authority possesses under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to placing of telegraph lines and posts for the purposes of a telegraph established or maintained, by Government or to be established or maintained subject to following terms and conditions for installing the above mentioned transmission line, namely:

- (i) The approval is granted for 25 years;
- (ii) The Applicant shall have to seek the consent of the concerned authorities i.e. local bodies, Railways, National Highways, State Highways etc.. before erection of proposed lines;

- (iii) The Applicant shall have to follow regulations/codes of the Appropriate Commission regarding transmission, O&M, open access, etc., framed under Electricity Act, 2003.
- (iv) The Applicant has been entrusted with the responsibility for Transmission system associated with DGEN TPS (1200 MW) of Torrent Power Limited. The details of the works are published in the Gazette of India dated 29.08.2015 to 04.09.2015.
- (v) The Applicant shall operate the lines after approval of Electrical Inspector / Chief Electrical Inspector of Central Government;
- (vi) The approval is subject to compliance by Applicant of the requirement of the provisions of the Electricity Act, 2003 and the rules made there under.
- (vii) M/s DGEN Transmission Company Ltd. will need to submit the requisite clearances to Central Electricity Authority after obtaining the same from Aviation & Defence authorities at the time of Electrical Inspection.

[F. No. 164/WR/PSP&PA-I/2016/DGEN TCL]

P. D. SIWAL, Secy. CEA